न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 140/2016 **दायरा दिनांक : 04.08.2016**

उनवान

कालू आत्मज देवा, जाति मीना, निवासी कोटडा जागीर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

2— कल्याणी बाई पुत्री देवा, जाति मीना, निवासी कोटडा जागीर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— गायत्री बाई पुत्री देवा, जाति मीना, निवासी कोटडा जागीर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 23.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 136/दावा/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के पिता देवा के खिलाफ एक दावा पेश कर यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 230 की खसरा नम्बर 820 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा देवा की गैर खातेदारी में दर्ज है जबकि सैटलमेंट से पूर्व यह आराजी उनकी गैर खातेदारी में दर्ज नहीं थी । इस कारण वादग्रस्त आराजी को सरकारी सिवाय चक दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और अपने निर्णय दिनांक 01.06.2011 से दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को सरकारी सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिया है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विवादित आराजी अपीलांट के पिता की गैर खातेदारी में 50 वर्ष से चली आ रही है । फिर भी दावा वादी डिक्री किया है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है । आराजी को काफी मेहनत करके काबिज काश्त बनाया हे । अपीलांट के पिता को सुनवायी का अवसर नहीं मिला है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट के पिता 6–7 वर्ष से गम्भीर रूप से बीमार थे । अपीलांट के पिता को सुनवायी के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया । दिनांक 28.06.2016 को पटवारी हल्का ने निर्णय की जानकारी दी । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से दावा डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी 50 वर्ष से अधिक समय से अपीलांट के पिता की गैर खातेदारी में दर्ज है । विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट ने ऐसा कोई आधार यथा आवंटन आदेश पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता को विधिक रूप से आवंटित हुई थी । सैटलमेंट विभाग ने गलत रूप से आराजी उनके खाते में दर्ज की थी । अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.12.2010 को प्रतिवादी देवा स्वयं उपस्थित हुआ है और उनके द्वारा जवाबदावा पेश करने का अवसर मांगा है इसके बाद दिनांक 14.02.2011 को उनके उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । अधीनस्थ नयायालय में जो दस्तावेजात पेश किये हैं उसमें नकल जमाबंदी सम्वत 2019–22 में खतौनी संख्या 94 में कोई खसरा नम्बर

अंकित नहीं है और गैर खातेदार आसामी का कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं है । नकल जमाबंदी सम्वत 2066–86 भू प्रबन्ध विभाग ने खाता संख्या 122 और 121 में वादग्रस्त आराजी में देवा वल्द बलदेव को गैर खातेदार दर्शाया गया है । नकल जमाबंदी सम्वत 2065–68 में भी देवा वल्द बलदेव को गैर खातेदार दर्शाया गया है । अपीलांट ने अपील में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता को आवंटित की गई है और विधिक रूप से उनकी गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है और अपीलांट ने अपने पिता की बीमारी से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है । गुणावगुण के आधार पर भी अपीलांट ने अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने और गम्भीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा